VOLUME-5 ISSUE-5 MAY 2025 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए । email id: vote1957@gmail.com

एक मई को मई दिवस या मजदूर दिवस मनाने का महत्व

मई दिवस, या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिकों के योगदान और श्रम आंदोलन के अधिकारों के लिए संघर्ष को सम्मानित करता है। इसकी वैश्विक महत्वता 1886 में शिकागों में हुई हेमार्केट घटना से जुड़ी है, जहां श्रमिकों ने आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग को लेकर रैली की, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक झड़पें हुई और यह विश्वव्यापी श्रम सिक्रयता का प्रतीक बन गई। 1889 में, दूसरा अंतरराष्ट्रीय, एक समाजवादी संगठन, ने इस संघर्ष को याद करने और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1 मई को एकजुटता का दिन घोषित किया।

Highly Contemptuous MP

This is high time the Supreme Court must take suo moto action under the Contempt of Courts Act against those indulging in maligning justice system.

It is more painful to see MPs, MLAs, Ministers and Vice -President playing adversorial role in attacking Supreme

Though jurisprudence does permit criticism of judgments in a fair manner but criticising judges attributing malafide to their intentions must be abhorred .

Calling CJI (Chief Justice of India) an instigator of Civil Wars is the height of denigrating or maligning our judiciary!

However such behaviour of foul -mouthedness in the rank and file of BJP is not uncommon. In fact such actors are rewarded with their carrier progression in their political life with all likelihood of being made Chief Ministers or other high functionaries!

As such where is our democracy destined to!

1ST MAY HAPPY MAHARASHTRA DIWAS HAPPY INTERNATIONAL LABOUR DAY

Terrorist Attack in Pahalgam, Kashmir: 26 Tourists Killed, Many Injured

No amount of condemnation is enough for terrorist attacks. What could be more cowardly than attacking innocent and unarmed people?

At the same time, it must be acknowledged that despite the government's tall claims, such incidents prove that the government has failed to control them.

For years, they have been boasting about what they have done, claiming to have eradicated terrorism and Naxalism. Yet, such dangerous plans are executed time and again.

They used to vehemently criticize the Congress when any incident occurred during their rule.

It is clear that these people are also failing to control the situation. Article 370 was revoked, Kashmir was divided, and it was made a Union Territory. Despite all this, the occurrence of such incidents is unfortunate.

WE WERE/ARE/SHALL FOREVER REMAIN ONE!

It is needless to remind countrymen time and again that we are one for national security. Is there any doubt that it is reminded time and again. We were, are and shall forever remain united for our country.

But having said this, should we not speak on slackness or inaction or lack of preparedness on our own part? Instead of taking such criticism as adversarial, government of the day should take it kindly as inputs while preparing for the ways and means to tackle this inhuman, dastard and coward menace called terrorism!

चचेरे भाइयों का एकजुट होना!

महाराष्ट्र और मराठी के व्यापक हित में, दोनों भाइयों, उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) और राज ठाकरे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने अपनी छोटी-मोटी असहमतियों को दरिकनार कर हाथ मिलाने का फैसला किया है। यदि यह सच होता है, तो यह उनके विरोधियों के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकता है।समय भी अनुकूल है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के रुके हुए चुनाव, जिसमें बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) शामिल है, जल्द ही होने की संभावना है।

Governor, President, Constitution, and Supreme Court

The Governor of Tamil Nadu had been sitting on 10 bills for several years.

The rule is that a Governor can send a bill back to the government, i.e., the Legislative Assembly, for reconsideration once. If the Assembly sends the bill back to the Governor, the Governor is required to sign it.

The same applies to the President at the central level.

However, the Tamil Nadu Governor was creating obstacles despite an order from the state's High Court. Some bills were sent to the President for approval, and there were delays in the approval process at the level of President as well.

In this situation, the Tamil Nadu government approached the Supreme Court.

Now the Supreme Court cannot simply say that since the bills are with the President, it can do nothing.

Exercising its powers under the Constitution, the Supreme Court issued an order and even set a deadline.

So, what wrong did it do that these people are raising a hue and cry, claiming that this or that was done, and the President's dignity was not respected?

Everyone knows that these same people did not deem it appropriate to invite the President to the inauguration of the new Parliament building or the grand Ram Temple consecration, and today they are shedding crocodile tears in the name of the same President.

As per my understanding, the Supreme Court is fulfilling its constitutional duties appropriately.

अवैज्ञानिक स्वमूत्र सेवन !

फिल्म अभिनेता परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने स्वमूत्र का सेवन 15 दिनों तक किया जिसके फलस्वरूप उनके घुटने का दर्द ठीक हो गया।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी देसाई ने भी इसी तरह का खुलासा किया था कि वे स्वमूत्र पीते हैं तथा ये कि उनके स्वस्थ रहने का यही राज है।

विज्ञान तथा वैज्ञानिक इस मूत्र थेरेपी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अबतक किसी भी शोध ने मूत्र के प्रभावकारी या गुणकारी होने का दावा नहीं किया है।

एक नेफ्रोलॉजिस्ट /िकडनी रोग विशेषज्ञ का कहना है कि पेशाब में क्रिएटिनिन जैसी शरीर की अशुद्धियां होती हैं जिनका ग्रहण करना अस्वास्थ्यकर है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी झुग्गी

औरंगाबाद के हवाई अड्डा से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर मातोश्री लॉन / होटल शिवनेरी फैमिली रेस्टोरेंट से सटकर औरंगाबाद जलना रोड के किनारे भीषण गर्मी में लोग फटे पुराने कपड़ों का तंबू बनाकर उसी में गुजरबसर करते हैं।बच्चे बूढ़े औरतें बिना किसी शिकवा शिकायत के रह रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी इन गरीबों के लिए नहीं है शायद। स्थानीय निकायों के नगर सेवकों, सांसद विधायकों का ध्यान इन गरीबों पर कैसे जा सकता है।

VOLUME-5 ISSUE-5 MAY 2025 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

आंध्र प्रदेश में झुग्गी तोड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर को जाना होगा जेल !

यह मामला 2013 का है। उस समय तहसीलदार, जो अब डिप्टी कलेक्टर हैं, ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के तोड़फोड़ पर रोक के आदेश की अवहेलना करते हुए झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया था। झुग्गीवासियों की याचिका पर दायर अवमानना याचिका में हाई कोर्ट ने तहसीलदार को 2 महीने की साधारण कैद और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

तहसीलदार ने सुप्रीम कोर्ट में सजा को चुनौती दी। अपील की सुनवाई के दौरान तहसीलदार के वकील ने लगभग माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि तहसीलदार के दो नाबालिग बच्चे हैं! इस पर जिस्टिस बी.आर. गवई (जो 13 मई से वर्तमान CJI के रिटायरमेंट के बाद CJI बनेंगे) और जिस्टिस ए.जी. मसीह की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने टिप्पणी की कि 'उन्हें झुग्गियां तोड़ते समय यह सोचना चाहिए था कि उन गरीबों के भी बच्चे हैं!'

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा और डिप्टी कलेक्टर साहब को जल्द ही जेल जाना होगा!

इस तरह की सजा भारत में स्थापित हो रहे बुलडोजर राज में बुलडोजर-खुश अधिकारियों या मंत्रियों में किसी के घर गिराने पर भय पैदा करने में काफी मददगार हो सकती है!

Chargesheet Filed in the Controversial National Herald Case

It seems strange that an attempt by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, descendants of Pandit Jawaharlal Nehru, to keep the National Herald newspaper—established during the freedom struggle—alive is being viewed as a crime! The Enforcement Directorate (ED) has filed a chargesheet against both individuals in court.

Notably, the case began in 2012 based on a complaint by Subramanian Swamy. In 2014, the ED took cognizance. In 2015, they were granted bail. In 2022, both were extensively questioned. And now, after about 12-13 years, a chargesheet has been filed. The trial may take years. After that, appeals, reviews, and revisions will likely continue through the High Court and Supreme Court.

The case gains momentum during elections, with significant efforts to discredit these political rivals, especially during election periods

However, in this alleged fraud case, there is no information about what personal benefit these individuals gained or how much they gained. There aren't even speculations. Therefore, the possibility of political vendetta in this case becomes increasingly strong!

Finally Tahawwur Rana ,The Man Behind The 26/11 Mumbai Terror Attack, Got Extradited And Now He Is In NIA Custody.

- 1. It took over 16 long years in getting him back from America under extradition treaty,
- 2. Break up of this 16 years is nearly 6 years under UPA rule and remaining 10 years under BJP rule headed by Modi ji.
- 3. Already clamour for credit for this extradition is on with BJP leaders giving credit to Modi Rule whereas Congress leaders say that it was because of ground- work done during UPA rule.
- 4. Wheels of justice is slow in America too. Should it take this much time for extradition in such a serious terrorist act.
- 5. Now it is for Indian Justice system to see that the man is prosecuted without any avoidable delay.
- 6. A sustained interrogation of this man could help unravel further evidences of Pakistan's involvement in the terror attack .

उर्दू विदेशी नहीं बल्कि भारत में ही जन्मी, पली तथा बढ़ी भारत की ही भाषा है - सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के अकोला जिला के पातुर नगर परिषद की नई इमारत के साइनबोर्ड पर उर्दू भाषा में लेखन को लेकर विवाद खड़ा किया गया था। याचिका कर्ताओं की याचिका में मांग की गई थी कि महाराष्ट्र के राज्य भाषा मराठी है तो साइनबोर्ड पर उर्दू भाषा का प्रयोग रोका जाय। पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्प्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ना केवल अपील खारिज की बल्कि लंबा चौड़ा उपदेश भी दे दिया जैसे :-

- 1. उर्दू विदेशी भाषा नहीं है।
- 2. यह भारत में हो जन्मी तथा पली बढ़ी है।
- 3. अगर किसी क्षेत्र में उर्दू समझने वे लोग हैं तो साइनबोर्ड पर उर्दू में भी सूचना लिखने में क्या गलत है!
- 4. भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इससे विभिन्न विचारों में ,लोगों में नजदीकी बढ़ती है।
- 5. भारत में जाने अनजाने लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं।
- 6. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में बातचीत बिना उर्दू के शब्दों के या उर्दू से उद्धृत शब्दों के संभव नहीं है।
- 7. उर्दू भाषा भी हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं से लाभांवित हुई है।
- 8. उर्दू भाषा का असर कोर्ट में खूब देखने को मिलता है मसलन अदालत, पेशी, , हलफनामा , वकालतनामा, दस्ती आदि।
- 9.भाषा धर्म नहीं है।
- 10. अनेक भाषा सीखना व्यक्ति को उदार, खुले दिमाग का तथा सिहण्णु बनाता है।

यूपी पुलिस की लापरवाही की हद !

यूपी के फिरोजाबाद जिला के एक जज (एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) ने किसी अभियुक्त को फरार घोषित करने की नोटिस जारी की।

संबंधित प्लिस थाने के इंस्पेक्टर ने दो लापरवाही की :-

- 1. उक्त नोटिस को गैरजमानती वारंट समझ लिया तथा
- 2. उक्त नोटिस जारी करने वाली जज को अभियुक्त समझ लिया।
- 3. उक्त तथाकथित गैर जमानती वारंट की तामील भी कर दी।
- 4. जज साहब को रिपोर्ट भी सादर कर दी कि अभियुक्ता नहीं मिली।
- 5. रिपोर्ट में अभियुक्त की जगह अपना खुद का नाम पाकर जज साहब के गुस्से को समझा जा सकता है। जज महोदया ने यूपी पुलिस को उक्त थाने के इंस्पेक्टर के खिलाफ इस भयंकर लापरवाही के लिए विभागीय जांच के आदेश दिया है।

स्वयं दिल्ली पुलिस उतरी कपिल मिश्रा को बचाने

जातव्य है कि कुछ दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को दिल्ली दंगों में हाथ होने के कारण किपल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने किपल मिश्रा के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत में प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त तथ्य पाया था।अब दिल्ली पुलिस ने स्वयं इस आदेश के खिलाफ सोशल जज के पास अपील/रिवीजन याचिका दायर किया है ये कहते हुए कि किपल मिश्रा का कोई हाथ नहीं है तथा किपल मिश्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही है।दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस का रोल संशयस्पद रहा है। ऐसे में इससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। दिल्ली के इस विशेष अदालत ने एसीजेएम के आदेश पर अगली स्नवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

VOLUME-5 ISSUE-5 MAY 2025 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

संविधान का मूल ढांचा

केशवानंद भारती मामले में स्थापित मूल ढांचा (basic structure) के सिद्धांत से बीजेपी के समर्थकों तथा नेताओं में असहजता स्पष्ट देखी जा सकती है। भारत के उप राष्ट्रपित तथा राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ इस तरह की मनसा सार्वजिनक रूप से जाहिर कर चुके है। केंद्रीय मंत्री किरण रुजुजु ने भी इस सिद्धांत से अनिच्छा जाहिर की थी। अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिस्टिस रोहिंटन ने ये उदगार व्यक्त किया था कि मूलभूत ढांचा सिद्धांत (Basic Structure Theory) के साथ छेड़छाड़ की गई तो देश राम भरोसे हो जायेगा।

अगर मूल संरचना सिद्धांत कभी खत्म हुआ तो भगवान ही इस देश की मदद कर पाएंगे: जस्टिस नरीमन

उनके इस वक्तव्य के बाद सोशल मीडिया में उनके ट्रोल होने लगे हैं विशेषकर बीजेपी समर्थकों दवारा।

इस सिद्धांत के पक्ष में मेरे विचार निम्नलिखित हैं :-

मूल ढांचा (Basic Structure) अपरिहार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच एक अच्छे सिद्धांत को उजागर किया केशवानंद भारती में !

मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो सबको आश्वस्त कर सकते हैं कि भारत के मूल ढांचे को बरकरार रखना क्यों जरूरी है :-

मान लीजिए कोई निरंकुश बहुमत वाली सरकार संविधान संशोधन द्वारा ये संसद से ये पारित करवा ले तक आप को कैसा लगेगा। निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। संविधान के मूल ढांचे को बरकरार रखना अति आवश्यक है। जानेमाने जज जस्टिस रोहिंटन ने ठीक ही कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ढह गया तो देश राम भरोसे ही रह जाएगा - तानाशाहों पर काबू पाना मुश्किल हो नहीं असंभव हो जाएगा!

- 1. भारत के संविधान का मूलभूत अधिकार वाला अध्याय 3 (Chapter
- -3) रद्द किया जाता है।
- 2. कोई भी चुनाव 5 साल के बदले 10 साल या 20 साल में होंगे।
- 3. चूनाव की व्यवस्था समाप्त की जाती है।
- 4. भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा।
- 5. भारत में हिंदू के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा।
- 6. देश में सिर्फ एक ही, केंद्र सरकार रहेगी । राज्य सरकारों या स्थानों स्वशासन को समाप्त किया जाता है।
- 7. देश के प्रधानमंत्री कुछ जाने माने पूंजीपति या जाने माने संघ मनोनीत करेंगे।
- 8. मंत्रिमंडल , राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद को समाप्त किया जाता है।
- 9. निजी संपति की अवधारणा को समाप्त किया जाता है। सारी संपति, सारे उद्योग धंधे सरकार के होंगे।
- 10. देश में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा जिसका नाम इंसानियत होगा इसलिए हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा करें। जागरूक रहें ताकि कोई इसे बदरूप ना कर दे, कुरूप ना बना दे!

यूपी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर

बुलडोजर से गिराए गए गृह के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर प्रति घर 10 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपए देने के लिए आदेश दिया ।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उद्गार व्यक्त किया कि किसी के घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने की बात स्नकर रूह कांप जाती है।

अधिकारियों द्वारा नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है रहा है। ये अधिकारियों को पता होना चाहिए कि घर का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। घर का अधिकार (Right to shelter) संविधान के आर्टिक 21 का अभिन्न अंग है। दिशानिर्देश तथा नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए।

It Is Virtually A Stay On WAA!

The Supreme Court had finally made up its mind to order for interim Stay on some of the crucial provisions of the new Wakf Amendment Act . The Chief Justice of India almost about to dictate the order.

Pat came the modus operandi of the Central Government to put some type of pokes to delay the matters. The Solicitor General of India , obviously not happy with the progress and mood of the court, requested for time at least for one day to have them have their say before issuing the interim order.

Today, succumbing or conceeding to some of the intended order of the Supreme Court the SG assured the court that :-

- 1. Non-muslims will not be appointed to the Wakf Boards and the Central Wakf Council and $\,$
- 2. Wakf by users will not be cancelled.

The Supreme Court recorded the statement and fixed 5th May 2025 for hearing on the interim reliefs likely to be issued by the Apex Court.

The modus operandi which I have talked of above is that whenever this government finds itself within the firing range of the judiciary it tries to buy time to ward off the anticipated judicial strictures by some untenable arguments.

In the instant case also they seem to be using the same trick.

It is noteworthy that the present CJI is due to retire on 13th May 2025. The modus operandi may ask for some time on the next hearing as well and by that time the CJI will retire in the hope that new CJI may not be equally strict as the present one and they may be able to some face saving arrangement. But the new would be CJI Justice B R Gavai too is not some one who can be placated. This means that CAA will be under eclipse for quite some time.

My apprehension about the dilatory tactics is based upon a few past cases. Fir example how a justice K M Joseph (now retired) was not allowed to finally decide the cases pertaining to hate speeches he was very serious to and the SG was able to take a next date by which time the justice Joseph retired. Afterwards nothing more was heard about the case!

However it can certainly be said that the WAA is not likely to survive in its present form. This must be viewed as a severe set back to this new Hindu Muslim plank of the present Government of India

सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर को बदनाम करने के कारण राहुल गांधी को फटकार लगाई

ज्ञातव्य है कि यूपी के लखनऊ के एक कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है उनके इस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर (Servant) थै।

इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में अपील किया था। हाइकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। उसी के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जहां पर सुनवाई के दौरान जजों ने राहुल गांधी की प्रार्थना मंजूर जरूर की पर उन्हें चेतावनी भी दिया। सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आवेदन में Yours faithful Servant लिखने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का नौकर हो गया। जजों ने कहा कि गांधी जी भी आवेदनों में Yours faithful Servant लिखते थे। इसका अर्थ ये नौकर नहीं लगाया जा सकता है। जजों ने याद दिलाया कि श्रीमित इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर के प्रति प्रशंसा पत्र जारी किया था।

जजों ने चेतावनी दी कि राहुल गांधी अगर आइंदा इस तरह की गलती करेंगे तो हम स्वत: संज्ञान लेकर लोवर कोर्ट पर लगाए गए इस रोक को हटा देंगे

राहुल गांधी को तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक वचन दिया कि ऐसा बयान नहीं दिया जायेगा।

VOLUME-5 ISSUE-5 MAY 2025 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

Then CAA, Now WAA

Efforts seem to be on to aid or abet the communal flare ups. Murshidabad is on fire. Two persons have lost their lives.

Calcutta High Court has come in based on the petition by BJP activists and rightly ordered for deployment of central armed forces to maintain law and order.

It is undoubtedly the duty of West Bengal Government to ensure peace in the State otherwise it will provide fodder to BJP's supporter to communalise the ongoing protests against the recently enacted law the Wakf Amendment Act.

I fail to understand how an agitation against a law could be branded as communal! It is definitely the task of those who thrive on communal strife.

Scenario evolving is similar to CAA (Citizenship Amendment Act) protest which has got wide ranging support not only from muslims but from other communities as well. BJP Govt's particularly the UP govt led by Yogi ji only saw to it that the protest is crushed and they succeeded as well by using brute methods against them like imposing prohibitory orders through out the state in order to see that nobody comes out for protest. Some violent incidents too did take place. Participants in agitations were arrested and suppressed. Now it is WAA (Wakf Amendment Act) too has been got enacted with similar haste. Naturally the protest or response too could be similar with similar support of not only Muslims but others as well. The reactions of State Governments run by BJP could be similarly suppressive.

Can anyone say how many non-citizens hindus have been given the most touted Indian Citizenship since passing of the CAA! I am sure nobody will be able to give any figure because there is none or if there are any the number could be too insignificant to publicise the CAA.

I am sure the WAA would also meet the similar fate but one imthing is certain the BJP would be the beneficiary in the electoral arena!

We the People of India will have to learn to live with such till they are in power!

Why are BJP supporters uneasy with the Supreme Court's decision?

The Supreme Court has declared the extraordinary delay by the Tamil Nadu Governor in approving bills passed by the state legislature as unconstitutional and undemocratic, setting a time limit for such approvals. It has also ruled that if the deadline is violated, the bills will be deemed passed. Additionally, the Court has set a time limit for the President to approve bills reserved by governors for presidential assent.

It is unclear why BJP supporters seem uneasy with this decision. Discussions have begun among constitutional experts as well.

My view on this is as follows:

No government or President is above the Constitution. The task of interpreting and enforcing the Constitution lies with constitutional courts, namely the High Courts and the Supreme Court. The arrangements made by the Supreme Court are equivalent to law! By providing this framework, the Supreme Court has protected the Constitution and democracy. Otherwise, governors in non-BJP-ruled states often create significant obstacles for state governments. Refusing to sign duly passed bills, causing unnecessary and extraordinary delays, has become a common practice for governors.

Delaying certain bills by reserving them for the President's approval and then further delaying decisions at the President's office—what is this if not a mockery of constitutional provisions? It is evident that governors misuse their constitutional powers and focus on pleasing their appointing authority, the central government.

The office of the President is also a constitutional position, and it is the President's duty to uphold its dignity.

When the Constitution clearly states that governors or the President shall act according to the advice of the council of ministers, why is there such conflict between governors and state governments?

The framers of the Constitution trusted that these high offices—President and governors—would uphold the Constitution impartially and wisely, free from partisan politics. Hence, no time limit was set for approving bills. Therefore, by setting a deadline, the Supreme Court has appropriately utilized its powers under Article 142 of the Constitution. This decision should be welcomed.

Yet, unfortunately, BJP supporters appear uneasy with this ruling!

कम से कम हंसने का अधिकार तो बरकरार रहे !

"लोकतंत्र को लोगों द्वारा अभ्यास में लाना होगा। यदि आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते, तो आप भूल जाएंगे कि आपके पास अधिकार हैं। उदाहरण के लिए, हंसने का अधिकार। आज सबसे गंभीर खतरा हंसने के अधिकार को है। एकमात्र जीव जो व्यंग्य, बुद्धि, और हास्य के माध्यम से खुशी और आनंद का अनुभव कर सकता है, वह है इंसान। हंसना आपके लिए इतना स्वाभाविक है, इस हंसने के अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए। हमें कम से कम हंसने की क्षमता तो रखनी चाहिए, यह वह न्यूनतम है जो हमें गारंटी दी जानी चाहिए।" ----- जिस्टिस एस मुरलीधर, दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जज तथा ओडिशा हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।

ज्ञातव्य है आज कॉमेडियंस तथा कवियों तक को सताया जा रहा है।

जस्टिस मुरलीधरन एक व्याख्यानमाला में भाषण दे रहे थे। उन्होंने बुलडोजर जस्टिस पर चिंता जताई।

भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका में 2021 में राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद वहां के कैपिटल पर धावा बोलने वाले वहां बाद में चुनाव जीत कर आ जाते हैं। जिसने संविधान की उपेक्षा की उसे चुनाव जीत कर नहीं आना चाहिए था। जिस्टिस एस मुरलीधर ने लोगों को आगाह किया कि संविधान

जिस्टिस एस मुरलिधर न लागा का आगह किया कि सविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करें वरना आप भूल जाएंगे कि अधिकार भी कोई चीज होता है!

न्यायिक विलंब

भारत में कुल लंबित मामले 51323901 हैं तथा कुल जजों की संख्या लगभग 20800 है।

सर्वोच्च न्यायालय: 33 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित, स्वीकृत संख्या 34)।

उच्च न्यायालयः 25 उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत संख्या 1,122 है, जिनमें से लगभग 766 कार्यरत हैं (356 रिक्तियां)।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयः स्वीकृत संख्या लगभग 25,628 है, जिनमें से लगभग 20,000 कार्यरत हैं (लगभग 5,000 रिक्तियां)। कुल मिलाकर, भारत में सभी स्तरों पर कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या लगभग 20,800 है, जबकि स्वीकृत संख्या लगभग 26,800 है। कुल लंबित मामले 51323901 हैं।

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995